7

कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 18/9031 दिनांक 30-08-2018

प0 सं0/551/18–19/एडी0कमि0 (जी0एस0टी0–सेल)/वाणिज्य कर मुख्यालय।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(एडी0कमि0–जी0एस0टी0–सेल)

लखनऊ :: दिनांक :: 30 :: अगस्त, 2018

**समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1**

**वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

**समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर**

**उत्तर प्रदेश।**

**विषयः– उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यों हेतु प्रदत्त शक्तियां।**

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत एक्ट के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं करापवंन रोकने हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं।

1. ज्वाइन्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के प्रॉपर अधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने की स्थिति में किसी टैक्सेबल पर्सन जिसके विषय में यह विश्वास करने का आधार उपलब्ध है कि उसके द्वारा सप्लाई के किसी सम्व्यवहारों अथवा स्टॉक को छुपाया गया है या एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य आई0टी0सी0 से अधिक आई0टी0सी0 का क्लेम किया गया है अथवा करापवंचन के उद्देश्य से अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो माल के ट्रान्सपोर्टेशन के व्यवसाय में रत है अथवा किसी वेयर हाउस, गोदाम या किसी अन्य स्थान के मालिक अथवा ऑपरेटर द्वारा ऐसी वस्तुओं का भण्डारण किया गया है जिस पर कर की अदायगी नहीं हुई है या माल अथवा लेखापुस्तकें इस प्रकार रखी गयी है जिससे एक्ट के अधीन देय कर की अपवंचना हो तो अधिकृत अधिकारी टैक्सेबल पर्सन के व्यापार स्थल अथवा उपरोक्त वर्णित स्थलों का निरीक्षण कर सकता है और यदि ज्वाइन्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के प्रॉपर ऑफिसर को यह विश्वास करने का आधार है कि जब्ती योग्य कोई माल या कोई अभिलेख या लेखा पुस्तकें या अन्य कोई वस्तु ऐसे स्थान पर उपलब्ध है तो वहां किसी अधिकारी को ऐसे स्थान की तलाशी लेने एवं ऐसे माल अभिलेख लेखा पुस्तकें अथवा वस्तुओं को अभिग्रहीत करने के लिए भी अधिकृत कर सकता है। **(अधिनियम की धारा 67)**
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के प्रॉपर ऑफिसर द्वारा किसी भी अधिकारी को अधिकृत किये जाने की स्थिति में अधिकार पत्र **आई0एन0एस0–01** में दिया जायेगा और अधिकृत अधिकारी द्वारा माल अभिलेखों, लेखा पुस्तकों या अन्य वस्तुओं के अभिग्रहण आदेश **आई0एन0एस0–02** में पारित किया जायेगा। **(नियम 139)**

3. जहां माल को व्यवहारिक रूप से अभिग्रहीत किया जाना सम्भव नहीं है वहां माल स्वामी अथवा माल के कस्टोडियन को इस आशय का निर्देश दिया जा सकता है कि वह अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना माल को न तो हटायेगा न विलग करेगा और न ही अन्यथा डिस्पोज करेगा। यह निरूद्धीकरण (Prohibition) आदेश आई0एन0एस0–03 में जारी किया जायेगा। **(धारा 67 एवं नियम 139)**
4. धारा 70 के अन्तर्गत नामित प्रॉपर ऑफिसर को किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी उपस्थिति, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा कोई अभिलेख प्रस्तुत करने अथवा किसी जांच के क्रम में अथवा किसी कार्य से अपेक्षित है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन कर सकता है और समन की प्रक्रिया सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत सिविल कोर्ट के द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी एवं इस प्रकार की कोई भी जांच आई0पी0सी0 की धारा 193 एवं धारा 228 के तहत न्यायिक प्रक्रिया मानी जायेगी। **(धारा 70)**
5. यदि समन किया हुआ व्यक्ति समन करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उस पर रूपये 25000/– तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। **(धारा 122(3))**
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा अधिकृत एक्ट के अधीन वर्णित किसी अधिकारी को किसी भी पंजीकृत व्यापारी के व्यापार स्थल में घुसने और लेखा पुस्तकें, अभिलेखों, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रोग्राम, कम्प्यूटर साफ्टवेयर चाहे वह कम्प्यूटर में इन्स्टाल्ड हो अथवा नहीं तब ऐसी अन्य कोई वस्तु जिसकी उसे आवश्यकता हो और जो व्यापार स्थल पर उपलब्ध हो, की जांच का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किसी ऑडिट, स्क्रूटनी, वैरीफिकेशन एवं जांच जो राजस्व के हित संरक्षित के लिए की जाये के लिए प्रदान किया गया है। **(धारा 71)**
7. एक्ट के प्राविधानों को लागू करने हेतु पुलिस, रेलवे एवं कस्टम्स के अधिकारीगण तथा भू–राजस्व के संग्रहण में लगे अधिकारीगण जिनमें ग्राम अधिकारी सम्मिलित है तथा केन्द्रीय कर के अधिकारीगण प्रॉपर ऑफिसर का सहयोग करेंगे। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी कमिश्नर के कहने पर प्रॉपर ऑफिसर के सहयोग हेतु नामित कर सकती है। **(धारा 72)**
8. प्रॉपर आफिसर द्वारा किसी क्षेत्र के अधिकार प्राप्त थाने के इंचार्ज आफिसर से अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहयोग मांगा जा सकता है और थाना अध्यक्ष उसके सहयोग हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करायेगा। **(नियम 150)**
9. यदि प्रॉपर ऑफिसर द्वारा किसी वाहन को रोका जाता है तो उसे उस वाहन से सम्बन्धित अभिलेखों एवं परिवहन किये जा रहे माल की जांच का अधिकार होगा। **(धारा 68)**
10. कमिश्नर द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी, कमिश्नर को यह विश्वास होने का आधार होने पर कि किसी व्यक्ति द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति बिना इनवॉइस जारी किये की गयी है अथवा माल अथवा सेवाओं की अथवा दोनों की आपूर्ति किये बिना कोई इनवॉइस जारी की गयी है अथवा ऐसी इनवॉइस में निहित कर की आई0टी0सी0 ली गयी है अथवा कर के रूप में धनराशि वसूल कर देय तिथि के 3 माह के बाद भी राजकीय कोषागार में जमा नहीं

की गयी है और जहां अपवंचित कर अथवा गलत ली गयी आई0टी0सी0 या गलत लिये गये रिफण्ड की धनराशि 2 करोड़ से अधिक है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और ऐसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस या उपरोक्त वर्णित अन्य अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है। **(धारा 69)**

11. यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाई जाती है अथवा रोका जाता है तो ऐसा व्यक्ति 6 माह तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा किन्तु किसी व्यक्ति को आयुक्त की अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा। **(धारा 132)**

12. कोई टैक्सेबल व्यक्ति, लोकल अथॉरिटी अथवा पब्लिक बॉडी या एशोसिएशन अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग जो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, वैट आदि वसूलता है या आयकर अधिकारी, बैंकिंग कम्पनी, स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, रजिस्ट्रार व सब–रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्पनीज, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहन पंजीयन अधिकारी, कलेक्टर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज, डिपोजिटर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अधिकारी अथवा जी0एस0टी0एन0 या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यूनिक आई0डी0 नम्बर आवंटित किया गया है अथवा काउंसिल की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन का रिकार्ड रखने, एकाउंट सेटलमेण्ट रखने, अन्य अभिलेख व प्रपत्र जो कर के भुगतान के सम्बन्ध में हो अथवा वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई के सम्व्यवहारों से सम्बन्धित बैंक एकाउंट रखने, बिजली के खर्च का हिसाब–किताब रखने अथवा खरीद बिक्री के किसी अन्य सम्व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो उनके लिए निर्धारित अवधि हेतु निर्धारित समय और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनफारमेशन रिटर्न दाखिल करने का प्राविधान है किन्तु अभी तक इनफॉरमेशन रिटर्न के प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी। **(धारा 150)**

13. कमिश्नर आवश्यक होने पर विज्ञप्ति द्वारा किसी मामले में अथवा इस एक्ट के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने के निर्देश जारी कर सकते हैं और ऐसी विज्ञप्ति जारी होने पर कमिश्नर अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति से ऐसी सूचना अथवा लिस्ट प्रस्तुत करने को कह सकता है जिससे उस विषय से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये जा सकते हों।**(धारा 151)**

14. असिस्टेन्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर का अधिकारी किसी केस की प्रकृति एवं दुरूहता को देखते हुए राजस्व हित में स्क्रूटनी, निरीक्षण, जांच अथवा किसी अन्य प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी स्टेज पर किसी एक्सपर्ट का सहयोग प्राप्त कर सकता है। **(धारा 153)**

15. कमिश्नर अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी यदि वह ऐसा आवश्यक समझे तो कराधेय व्यक्ति के कब्जे से नमूने (सैम्पल) ले सकता है और लिये गये किसी भी नमूने की रसीद उपलब्ध करायेगा। **(धारा 154)**

अपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त प्राविधानों से अवगत कराते हुए उक्त प्राविधानों का समुचित उपयोग कर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।